"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2007—माघ 12, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-1/2007/वाक. (आब.) /पांच (4).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ज) विदेशी मदिरा के नामपत्रों (लेबलों) में बार कोडिंग."

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 10-1/2007/वाक. (आब.) /पांच (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1/2007/वाक. (आब.) /पांच (4), दिनांक 01-02-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st February 2007

NOTIFICATION

No. F 10-1/2007/CT. (Ex.)/V (4).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of1915), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

After clause (g) of sub-rule (1) of rule 9 the following clause shall be inserted, namely :-

(h) "Bar coding in labels of foreign liquor."

2. This amendment shall come into force w. e. f. 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.